राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(9)खा.वि. / आवंटन / 2014 जयपुर, दिनांक 14.08.2014

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषयः– भामाशाह योजना–2014 के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भामाशाह योजना, 2014 के तहत राज्य के जिलों में आयोजित होने वाले भामाशाह शिविरों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत चयनित पात्र व्यक्तियों के राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स द्वारा दिनांक 14.08.2014 को जारी (संलग्न परिशिष्ट–'अ') समावेशन एवं निष्कासन के संशोधित मापदण्डों के अनुसार भौतिक सत्यापन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें:–

1. भामाशाह शिविरों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का, समावेशन एवं निष्कासन के मापदण्डों के आधार पर, सत्यापन किये जाने की प्रक्रिया संचालित करने पर अन्य कार्य प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सत्यापन की कार्यवाही पंचायत विशेष में आयोजित होने वाले शिविर की तिथि से पूर्व में ही प्रारम्भ कर शिविर तिथि से एक सप्ताह पहले ही सम्पन्न कर लें। माह अगस्त में आयोजित होने वाले शिविरों में समयाभाव को देखते हुए इन पंचायतों में सत्यापन पश्चातवर्ती तारीखों में जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित सुविधानुसार तिथियों में किया जावे।

2. सूचियों के सत्यापन हेतु जिला कलक्टर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतवार एवं शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानवार दल गठित करेंगे। जिला रसद अधिकारी का दायित्व होगा कि भामाशाह शिविरों की तिथि से 10 दिन पूर्व ही खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित परिवारों की वर्तमान सूची उचित मूल्य दुकानवार जिला कलक्टर द्वारा गठित की जाने वाली टीम को उपलब्ध करवा दी जाये।

3. जिला कलक्टर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गठित की जाने वाली टीम में संबंधित क्षेत्र के पंचायत प्रसार अधिकारी को टीम लीडर के तौर पर तथा उस पंचायत के ग्राम सेवक, रोजगार सहायक व पंचायत लिपिक को प्रगणक के तौर पर शामिल किया जाकर सूची के आधार पर घर–घर संपर्क कर पात्रता सूची की जॉच की जावे। शहरी क्षेत्र में जिला कलक्टर उपलब्ध कर्मचारियों के आधार पर शहरी निकायों के माध्यम से यह कार्य सम्पन्न करावें।

4. आयोजित होने वाले भामाशाह नामांकन शिविरों में टॉस्क फोर्स द्वारा निर्धारित प्राथमिकता श्रेणी प्रथम तथा प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय के जिन परिवारों का दस्तावेजी साक्ष्य पूर्ण हो चुका है एवं जो पूर्व से ही योजना में लाभान्वित हो रहे हैं, उनका विधिवत सत्यापन मानकर पात्र परिवारों की अन्तिम सूची में शामिल कर लिया जावे। प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय के शेष परिवारों जिनका दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हुआ है, का शिविर में पठन किया जाकर भामाशाह केम्प में उपस्थित आमजन को सुना दिया जावेगा।

5. शिविर समाप्ति पश्चात सत्यापन के आधार पर प्राथमिकता श्रेणी प्रथम एवं द्वितीय की दो पृथक्–पृथक् सूचियां बनवाने की जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारियों की होगी। जिला रसद अधिकारी प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय जिसमें दस्तावेजी सबूत प्राप्त/सत्यापन होने पर उनके समावेशन हेतु राज्य सरकार को सूचना प्रेषित कर इन्हें लाभान्वित करने की अनुमति प्राप्त कर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करेंगे।

6. प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय में शामिल जिन परिवारों का दस्तावेजी साक्ष्य/सत्यापन नहीं हुआ है उन परिवारों को एक युक्तियुक्त समय में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने/सत्यापन कराने हेतु समय दिया जावेगा जिसके लिये उन्हें अलग से सूचित कर दिया जायेगा।

14/08/14

(डॉ0 सुबोध अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।

2 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।

3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर, राजस्थान, जयपुर।

4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।

5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

6 निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।

7 निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग (मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर।

8 समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

9 रक्षा पत्रिका।

14/04/14

प्रमुख शासन सचिव

परि.–"अ"

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(10)(5)खा.वि./खाद्यान्न/2013 जयपुर, दिनांक 14.08.2014

टॉस्क फोर्स की बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 04 अगस्त, 2014

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की कियान्विति के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के चिन्हीकरण के मानक निर्धारित किए जाने हेतु पुनर्गठित टॉस्क फोर्स की बैठक श्री सी. एस. राजन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर की अध्यक्षता में दिनांक 04.08.2014 को समय अपरान्ह 03.00 बजे सचिवालय मुख्य भवन स्थित समिति कक्ष संख्या–2 में आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–अ पर संलग्न है।

2. बैठक के आरम्भ में प्रमुख शासन सचिव (खाद्य) ने अवगत कराया कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत कुल चयनित यूनिट 446 लाख के विरूद्ध लगभग 531 लाख यूनिट्स का चयन हुआ है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट प्रावधान की अनुपालना में समस्त चयनित लाभार्थियों को अधिनियम के प्रावधानानुसार खाद्यान्न आवंटन किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों की पहचान के लिए दिनांक 30.08.2013 को जारी अधिसूचना में शहरी एवं ग्रामीण समावेशन की कई श्रेणियां ऐसी हैं, जिनमें एक चयनित व्यक्ति दो–दो श्रेणी में हो सकता है, जैसे घरेलू श्रमिक, रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेण्डर, कचरा बीनने वाला आदि। ये लोग अधिकांशतः अपने मूल निवास स्थान से अन्यत्र, प्रायः निकट के शहरों में कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त श्रेणियों के व्यक्तियों के दो–दो राशनकार्ड होने की संभावना भी है।

3. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर ने उप सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग श्री सी.एल. वर्मा से सामाजिक–आर्थिक सर्वे की अद्यतन जानकारी चाही। श्री वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि तैयार सूचियों पर दावे, आपत्तियों की कार्यवाही अभी किया जाना शेष है। अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के यह पूछने पर की सामाजिक–आर्थिक सर्वे की सूची को किस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत उपयोग में लिया जा सकता है ? श्री वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के मापदण्डों की समस्त श्रेणियां उक्त सर्वे में कवर होती है। प्रमुख शासन सचिव, वित्त द्वारा अवगत कराया गया, कि सामाजिक–आर्थिक सर्वे सूचियों में न तो आय की गणना की गई है व न ही आय के आधार पर प्राथमिकता तय हुई है। ऐसी स्थिति में उक्त सूचियों को आधार बनाया जाना उचित नहीं होगा।

4. विचार–विमर्श के दौरान टॉस्क फोर्स को ऐसा प्रतीत हुआ है कि निर्धारित समावेशन मापदण्डों की कई श्रेणियों में दस्तावेज–सबूत नहीं लिए जाने के कारण दोहरापन हुआ है। साथ ही इस प्रकार की श्रेणियों में Specific criteria नहीं होने से गलत चयन की भी संभावना है। अतः ऐसी श्रेणियों को प्रस्तावित द्वितीय प्राथमिकता श्रेणी में रखा जाये तथा जिनके पास दस्तावेज एवं सबूत सत्यापित नहीं है, उनको चयन सूची से हटाया जाये। माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2014–15 के बजट भाषण में राज्य के सभी पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराये जाने की घोषणा की गई है तथा 14वीं विधानसभा के बजट सत्र में माननीय खाद्य मंत्री महोदय द्वारा भी प्रश्नों के जवाब में अपात्र व्यक्तियों को चयन सूची से हटाने एवं पात्र व्यक्तियों का पुनः सर्वे कराये जाने की घोषणा की गई है। उपरोक्त स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत दिनांक 30.08.2013 के तहत निर्धारित समावेशन व निष्कासन मापदण्डों की पुनः समीक्षा किया जाना आवश्यक है। समिति ने विस्तृत विचार–विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिएः–

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रचलित शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की पात्र समावेशन सूचियों को निम्न नये मानदडों के अनुसार प्राथमिकता श्रेणी प्रथम व प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय दो भागों में बांटा जायेगा। प्राथमिकता श्रेणी प्रथम में शामिल होने वाली श्रेणियों के लाभार्थी स्वतः समावेशन प्रकिया सें खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र होंगे।

(ii) प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय सूची में दर्ज श्रेणियां दस्तावेज प्रस्तुत करने/सत्यापन के उपरांत खाद्य सुरक्षा योजना हेतु पात्र होंगे परन्तु प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय में शामिल परिवार को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। इस बाबत निर्धारित प्रकिया के तहत प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय के पात्र परिवारों को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने/सत्यापन करवाना होगा, निर्धारित प्रकिया बाबत अलग से सूचित कर दिया जावेगा।

(iii) प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय के परिवारों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने/सत्यापन न होने पर वे स्वतः ही खाद्य सुरक्षा से अपात्र हो जायेंगे।

(iv) राज्य की ceiling से प्राथमिकता श्रेणी प्रथम में उपलब्ध चयनित लाभार्थी कम होने पर राज्य सरकार प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय की वरीयता में से Specific category के लाभार्थियों को शामिल करने का निर्णय लिया जायेगा। प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय की वरीयता सूची में सम्मिलित श्रेणियां Interse प्राथमिकता भी राज्य सरकार द्वारा तय की जायेगी।

(समावेशन (inclusion) श्रेणी में प्राथमिकता श्रेणी प्रथम एवं प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय में रहने वाली श्रेणियों का विवरण सूची–अ पर उपलब्ध है।)

5. बैठक में बाद विचार–विमर्श यह भी निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निष्कासन मापदण्डों में ग्रामीण क्षेत्र हेतु निम्न बिन्दु जोडा जायेः–

"ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।" निष्कासन (exclusion) श्रेणियों का विवरण सूची–ब पर उपलब्ध है।

6. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य द्वारा सुझाव दिया गया कि आगामी भामाशाह योजना–2014 के अन्तर्गत खाद्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के सत्यापन हेतु प्रस्तावित प्रकिया के तहत भामाशाह शिविरों की तिथि से 10 दिन पूर्व ही खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित परिवारों की वर्तमान सूची उचित मूल्य दुकानदारवार जिला कलक्टर द्वारा गठित की जाने वाली टीम को उपलब्ध करवा दी जाये। जिला कलक्टर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गठित की जाने वाली टीम में संबंधित क्षेत्र के पंचायत प्रसार अधिकारी को टीम लीडर के तौर पर तथा उस पंचायत के ग्राम सेवक, रोजगार सहायक व पंचायत लिपिक को प्रगणक के तौर पर शामिल किया जाकर सूची के आधार पर घर–घर संपर्क कर पात्रता सूची की जॉच की जावे। शहरी क्षेत्र में जिला कलक्टर उपलब्ध कर्मचारियों के आधार पर शहरी निकायों के माध्यम से यह कार्य सम्पन्न करावें। आयोजित होने वाले भामाशाह नामांकन शिविरों में प्राथमिकता श्रेणी प्रथम तथा प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय जिसमें परिवारों का दस्तावेजी साक्ष्य हो चुका है एवं प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय के शेष परिवारों जिनका दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हुआ है, का पठन किया जाकर भामाशाह केम्प में उपस्थित आमजन को सुना दिया जावेगा। प्राथमिकता श्रेणी प्रथम के परिवारों की ऑनलाईन फीडिंग संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तत्काल प्रारम्भ कर सम्पन्न की जावे। प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय जिसमें दस्तावेजी सबूत प्राप्त/सत्यापन होने पर उनके समावेशन हेतु राज्य सरकार को सूचना प्रेषित कर इन्हें लाभान्वित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जावे। प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय में शामिल जिन परिवारों का दस्तावेजी साक्ष्य/सत्यापन नहीं हुआ है उन परिवारों को एक युक्तियुक्त समय में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने/सत्यापन कराने हेतु समय दिया जावेगा जिसके लिये उन्हें अलग से सूचित कर दिया जायेगा ।

विस्तृत विचार विमर्श के बाद बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं
सदस्य सचिव, टॉस्क फोर्स

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।

2 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।

3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर, जयपुर।

4 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।

5 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।

6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।

7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।

8 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।

9 निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।

10 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।

11 निजी सचिव, आयुक्त, मिड–डे–मील, जयपुर।

12 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

13 निजी सचिव, निदेशक, जनगणना विभाग, जयपुर।

14 निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, जयपुर।

15 समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।

16 रक्षित पत्रावली।

(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं
सदस्य सचिव, टॉस्क फोर्स

समावेशन सूची–'अ'

शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र	
समावेशन (inclusion) प्राथमिकता श्रेणी प्रथम	समावेशन (inclusion) प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय	समावेशन (inclusion) प्राथमिकता श्रेणी प्रथम	समावेशन (inclusion) प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय
1. अन्त्योदय परिवार 2. बीपीएल परिवार 3. स्टेट बीपीएल परिवार 4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी 5. ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा, बशर्ते परिवार का कोई अन्य सदस्य निष्कासन की श्रेणी में नही आता हो:– A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना G. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना H. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार I. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार J. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्ते exclusion (पात्र नही) शर्तो में न आते हो। K. वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार । L. घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जैसे वनबागरिया, गाड़िया लुहार तथा भेड़पालक । M. कुष्ठ रोग मुक्त एवं कुष्ठ रोगी ।	A. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष B. समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल) C. एकल महिलाएँ D. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक E. पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम F. कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार G. कचरा बीनने वाले परिवार H. घरेलू श्रमिक I. गैर सरकारी सफाई कर्मी J. स्ट्रीट वेण्डर K. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार L. साईकिल रिक्शा चालक M. पोर्टर (कुली) N. नवीन श्रेणियां जो शामिल की जानी है:– 1 कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति 2 घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन बागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक 3 वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी	1. अन्त्योदय परिवार 2. बीपीएल परिवार 3. स्टेट बीपीएल परिवार 4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी 5. ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा, बशर्ते परिवार का कोई अन्य सदस्य निष्कासन की श्रेणी में नही आता हो:– A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना G. महानरेगा में 2009–10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना I. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार J. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार K. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार L. भूमिहीन कृषक M. सीमान्त कृषक N. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्ते exclusion (पात्र नहीं) शर्तो में न आते हो। O. वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार । P. घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जैसे वनबागरिया, गाड़िया लुहार तथा भेड़पालक । Q. कुष्ठ रोग मुक्त एवं कुष्ठ रोगी।	A. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष B. समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल) C. एकल महिलाएँ D. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक E. पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम F. कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार G. कचरा बीनने वाले परिवार H. घरेलू श्रमिक I. गैर सरकारी सफाई कर्मी J. स्ट्रीट वेण्डर K. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार L. साईकिल रिक्शा चालक M. पोर्टर (कुली) N. लघु कृषक O. नवीन श्रेणियां जो शामिल की जानी है:– 1 कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति 2 घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन बागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक 3 वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी

(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं
सदस्य सचिव, टॉस्क फोर्स

निष्कासन सूची–'ब'

शहरी क्षेत्र निष्कासन (exclusion) (पात्र नहीं)	ग्रामीण क्षेत्र निष्कासन (exclusion) (पात्र नहीं)
1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो। 2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी /स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। 3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)। 4. नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोडकर) 5. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोडकर) 6. एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार। 7. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।	1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो। 2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। 3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)। 4. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। 5. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक हो। 6. ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।

(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं
सदस्य सचिव, टॉस्क फोर्स